SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
January – March 2024
Vol-1
Issue-1

विधिक सहायता में जिला विधिक सहायता प्राधिकरण की भूमिका

माधव शरण पाठक
सहायक प्राध्यापक विधि विभाग
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर (मध्यप्रदेश)

विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और न्याय के अवसर सभी को समान रूप से मिले साथ ही केवल गरीबी व पिछड़ेपन के कारण कोई न्याय प्राप्त करना से वंचित न रह जाए के लिए हमारे भारतीय संविधान के 42वे संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 39a मे निःशुल्क विधिक सहायता का लक्ष्य राज्य के लिए परिलक्षित किया गया और जिसके अंतर्गत "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।"

सभी के अधिकार संरक्षित व सुरक्षित रहे सभी को सस्ता सरल व सुगम न्याय प्राप्त हो व विचाराधीन मामला शीघ्र निराकृत हो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो के लिए न्यायपालिका द्वारा समय समय पर विधिक सहायता शिविर एवं लोक अदालतो का आयोजन किया जाता है। न्याय को आम आदमी के लिए आसान बनाने का श्रेय पूर्व चीफ जस्टिस पीएन भगवती को जाता है साल 1979 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस भगवती ने हुसैनारा खातून मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि संविधान में सभी को गरिमा के साथ जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया गया है. गरीबी या अशिक्षा के कारण किसी को किसी को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता है। एच हास्काट मामले मे उच्चतम न्यायालय द्वारा विधिक सहायता के संबंध महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए।

न्याय मे देरी न्याय की हत्या जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 व लोक अदालत जैसे साधन न्याय प्राप्त करने मे काफी कारगर सिद्ध हो रहे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य

विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एवं तहसील विधिक सेवा समिति का गठन सस्ता सुलभ न्याय जनता को प्रदाय करने के लिए किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 9 एवं 10 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन एवं कार्य के बारे में निम्नलिखित प्रावधान किये है -

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(1) राज्य सरकार, के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक निकाय का गठन करते हैं जिसे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कहा जाता है राज्य के प्रत्येक जिले को प्रदत्त या सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करने और कार्य करने के लिए,इस अधिनियम के तहत जिला प्राधिकरण।

(2) एक जिला प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(ए) जिला न्यायाधीश जो इसका अध्यक्ष होगा; और

(बी) उतनी संख्या में अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और योग्यता हो, जितनी हो सके राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, उस सरकार के परामर्श से नामांकित किया जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश.

(3) राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, नियुक्ति करेगा राज्य न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति जो अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल से कम रैंक का न होन्यायाधीश को इस तरह का कार्य करने के लिए जिला न्यायपालिका के सचिव के रूप में जिला न्यायपालिका की सीट पर तैनात किया जाता हैउस समिति के अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियां और कर्तव्य निभाना जो उसे सौंपे जाएं ऐसे अध्यक्ष

(4) जिले के सदस्यों और सचिव के पद की शर्तें और उससे संबंधित अन्य शर्तें प्राधिकरण ऐसा होगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा परामर्श से बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ.

(5) जिला प्राधिकरण उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अपने कार्यों का कुशल निर्वहन।

(6) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन के हकदार होंगे और भत्ते और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से।

(7) प्रत्येक जिला प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिसमें वेतन, भत्ते और शामिल हैं जिला प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय पेंशन होगी
राज्य की संचित निधि से भुगतान किया गया।

(8) जिला प्राधिकरण के सभी आदेश एवं निर्णय सचिव अथवा किसी अन्य द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे जिला प्राधिकरण का अन्य अधिकारी जो उस प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्राधिकृत हो।

(9) जिला प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगी जिला प्राधिकरण में किसी रिक्ति का अस्तित्व, या उसके गठन में कोई दोष।

जिला प्राधिकरण के कार्य

(1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कार्यों का पालन करना जो उसे समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं राज्य प्राधिकरण द्वारा समय.

(2) उपधारा

(1) में निर्दिष्ट कार्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला प्राधिकरण निम्नलिखित सभी या कोई भी कार्य कर सकता है, अर्थात्:

(ए) तालुक कानूनी सेवा समिति और अन्य कानूनी सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करें जिला

(बी) जिले के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना; और

(सी) ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य प्राधिकरण कर सकता है

उक्त अनुक्रम में छतरपुर में भी जिला विधिक सहायता प्राधिकरण की स्थापना की गई है सत्र 2023-24 में जिला विधिक सहायता प्राधिकार छतरपुर द्वारा लोक अदालत के माध्यम से २८०० मामला का निराकरण किया गया १०२८ विधिक सहायता शिविर लगाया गया ३१६ मामला में अभियुक्तो एवं जरूरी कार्य को विधि सहायता उपलब्धा कराई गई है तथा लोगो को विधिक

सहायता उपलब्ध करने हेतु ०५ विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित की गई है जिला विधिक सहायता प्राधिकरण छतरपुर द्वारा न्याय को जन जन तक पहुँचाने हेतु श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के विधि विभाग लीगल एड क्लीनिक को दिनांक 27/06/2023 को स्थापित किया है आर्थिक एवं अन्य निर्योग्य व्यक्ति जो अपने अधिकारों की जानकारी नही रखता को जागरूक करने हेतु विधिक सहायता शिविर ग्रामीण अंचल तक लीगल एड क्लीनिक एवं जिला विधिक सहायता प्राधिकरण छतरपुर द्वारा आयोजित हो रहे है। जिला विधिक सहायता प्राधिकरण छतरपुर द्वारा टोल फ्री नं. 15100 एवं लीगल एड क्लीनिक द्वारा टोल फ्री नं. 6262618023 जारी किया है जिसके माध्यम से सैकड़ो लोग विधिक सेवा से लाभान्वित हो रहे है विवादो को सुलह के माध्यम से लोक अदालते निपटा रही है। ऐसे अभियुक्त जिनके पास अपनी पैरवी हेतु वकील नही कर सकता उसे धारा 304 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (Section 341 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023) के अधीन राज्य के व्यय पर विधिक सहायता प्रदाय की जाती है। ऐसे व्यक्ति जो गरीब है और अपनी संपत्ति के संबंध मे कोर्ट फीस के अदा नही कर सकते उन्हे व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 के अधीन आदेश 33 के अधीन अकिंचन वाद के माध्यम से विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान मे व्यक्ति मे केवल जीवन का अधिकार समाहित नही वरन मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार समाहित है जिसे न्यायपालिका द्वारा समय समय पर अनुच्छेद 32 व 226 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया जाता है । विधिक सहायता के अनवरत प्रयासो से न्यायपालिका के प्रति जनसामान्य की आस्था बढी है और न्याय पालिका के प्रति व्यक्ति का विश्वास अतुल्य है और जहाँ भी कही किसी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रश्नचिन्ह उठता है तो वह यही कहता है :

"I WILL SEE YOU IN THE COURT"